

मेरे द्वारा दिनांक 30.05.2023 को मेरठ जाने के लिए सरकारी वाहन संख्या UP70AG-2010 से जाने हेतु अनुमति पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त अनुक्रम में कुल 255 किमी की निजी यात्रा की गई। जिसमें से 100 किमी की छूट माह मई 2023 (दिनांक 17.05.2023 से 31.05.2023 तक) में काटने के उपरान्त 155 किमी. का किराया मु.व. 03 रुपये प्रति किमी. की दर से कुल 465/- रुपये भारतीय स्टेट बैंक में रैसिस उपभोग करने के उपरान्त दिनांक 15.06.2023 को चालान संख्या FF00006 से जमा कर दिये गये हैं।
जमा की गयी धनराशि के बैंक चालान की प्रति संलग्न है।

कोषागार प्रपत्र - 209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2
प्रपत्र संख्या 43ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा
- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) संस्था के नाम धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
 - पता

भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा (मधुरा)
30 प्रो. मार्ग
मधुरा

- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

UP70AG 2010

- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

शासकीय वाहन प्रयोग धनराशि
30 प्रो. मार्ग
₹ 465/-
₹ 465/-

- चालान की सकल राशि
- चालान की निवल राशि
- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर :

007060800050000

- लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट का कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्यौरेवार शीर्षक	धनराशि(अंको में)
0070	60	800	05	0000	₹ 465/-
					/
					₹ 465/-

धनराशि (शब्दों में) (चार सौ पचास रुपये मात्र) प्रधान न्यायाधीश
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित परिवार न्यायालय, मधुरा

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या : FF00006

अंको में ₹0
शब्दों में ₹0

दिनांक : 15/06/2023

465/-

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
बैंक की मुहर सहित

मेरे द्वारा दिनांक 31.05.2023 को मेरठ से वापसी में सरकारी वाहन संख्या UP70AG-2010 से आने के बाद माह जून 2023 में कुल 251 किमी. की निजी यात्रा की गयी, जिसमें से 200 किमी. की छूट माह जून 2023 में काटने के उपरान्त 51 किमी. का किराया मु.व. 03 रुपये प्रति किमी. की दर से कुल 153/- रुपये भारतीय स्टेट बैंक में दिनांक 15.06.2023 को चालान संख्या FF00007 से जमा कर दिये गये है।
जमा की गयी धनराशि के बैंक चालान की प्रति संलग्न है।

कोषागार प्रपत्र - 209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2
प्रपत्र संख्या 43ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा
- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) संस्था के नाम धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
- पता
- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
- चालान की सकल राशि
- चालान की निबल राशि
- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर
- लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट का कोड

SBI- मुख्य शाखा मथुरा
30 प्रो सरकारी
प्रधान परिवार न्यायालय, मथुरा
UP 70 AG 2010
शाहीद वाहन प्रभास धनराशि
30 प्रो सरकारी
₹ 153/-
₹ 153/-
007060800050000

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्यौरेवार शीर्षक	धनराशि(अंको में)
0070	60	800	05	0000	₹ 153/-
					/

धनराशि (शब्दों में) (कैश निरूपण) प्रयोग
चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, मथुरा
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ
चालान संख्या : FF00007
दिनांक : 15 JUN 2023
अंको में रु०
शब्दों में रु०

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
बैंक की मुहर सहित